कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

संख्या : एचआर/एवीएस/।।/एनजेड/75/आई.जी.एचसीएंड डब्ल्यू एच/2013/7620 दिनांक: 27.09.2019

सेवा में,

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.)/ अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल), निदेशक, (पीडीएनएएस),

सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त / प्रभारी क्षे.का./आं.प्र.सं./प्र.से.प्र.-मुख्यालय / जिला कार्यालय

विषय : महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.)

संदर्भ : (i) परिपत्र संख्या एचआर/एवीएस/।।/एनजेड/75/आई.जी.एचसी एंड डब्ल्यू एच/2013/4997 दिनांक: 29.05.2014

(ii) परिपत्र संख्या एचआर/ एवीएस/ ।।/ एनजेड / 75/ आई.जी.एचसी एंड डब्ल्यू एच/2013/2991-92 दिनांक: 08.07.2019

महोदया/ महोदय,

आप सभी का ध्यान मुख्यालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित जारी परिपत्रों दिनांक 29.05.2014 एवं 08.07.2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के निदेश दिए गए थे। उक्त अधिनियम की धारा 26 का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में असफल रहता है, तो उसे प्रथम दृष्ट्या जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, जो रू. 50,000/- तक हो सकता है।

2. *फिर भी, वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समिति के गठन के संबंध में केवल कुछ कार्यालयों से ही पुष्टि प्राप्त हुई है।*

3. अत: पुनः अनुरोध है कि यदि आंतरिक शिकायत समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है, तो वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठन किया जाए और इस परिपत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

भवदीया,

(उमा मंडल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मा.सं.प्र.)